कार्यालयः– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर (म0प्र0)

:: विज्ञप्ति ::

कमांक 309 /दो–12–03/2025 अनूपपुर दिनॉक 10.02.2026

सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, तहसील न्यायालय कोतमा परिसर में केंटीन संचालन किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तो के अधीन जो संस्था या व्यक्ति जिला न्यायालय अंतर्गत तहसील न्यायालय कोतमा परिसर में केंटीन संचालन हेतु इच्छुक हो, वे कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर में कार्य दिवस के दौरान उपस्थित होकर निविदाओं की आवश्यक शर्तो की जानकारी प्राप्त कर शर्तो के अनुसार निविदा दिनॉक 26.02.2026 को शाम 05:00 बजे तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय अवधि उपरांत प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

निविदा की शर्तो का विस्तृत विवरण निम्नानुसार अधिकारिक पोर्टल पर देखा जा सकता हैः–

1. जिला न्यायालय अनूपपुर की अधिकारिक वेबसाईटः–

   https://anuppur.dcourts.gov.in /#tenders एवं

2. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के अधिकारिक वेबसाईट :–

   www.mphc.gov.in पर **tenders** टैब अंतर्गत।

उक्त केंटीन संचालन हेतु प्राप्त निविदाओं को दिनॉक 27.02.2026 को शाम 05:00 बजे अधिकृत कमेटी के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें निविदाकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अनूपपुर(म0प्र0)

कार्यालयः– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर (म0प्र0)

:: निविदा आमंत्रण ::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय अनूपपुर अंतर्गत तहसील न्यायालय कोतमा परिसर में चिन्हित रिक्त कक्ष में केंटीन संचालन किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तो के अधीन जो संस्था या व्यक्ति तहसील न्यायालय कोतमा में चिन्हित रिक्त कक्ष में केंटीन का संचालन करना चाहता है, वे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के कार्यालय में निविदा की शर्तो के अनुसार सीलबंद निविदा दिनॉक 12.02.2026 से दिनॉक 26.02.2026 के शाम 05:00 बजे तक डाक द्वारा अथवा समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि उपरांत प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

निविदा आमंत्रण संबंधी विज्ञप्ति एवं शर्तो मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के आधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in/tenders एवं जिला न्यायालय अनूपपुर के आधिकारिक वेबसाईट https://anuppur.dcourts.gov.in/#tenders पर देखी जा सकती है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अनूपपुर (म0प्र0)

:: निविदा आवेदन ::

प्रति,

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
जिला अनूपपुर (म0प्र0)

विषयः– तहसील न्यायालय कोतमा जिला अनूपपुर में केंटीन संचालन हेतु निविदा के संबंध में।

–::000::–

मै...जिला न्यायालय अनूपपुर अंतर्गत तहसील न्यायालय कोतमा परिसर में केंटीन संचालन हेतु निविदा प्रस्तुत करता हूँः–

व्यक्तिगत विवरण

1 निविदाकर्ता व्यक्ति/संस्था का नाम व पता

2 मोबाइल नं.

3 पेन (PAN)

4 पहचान संबंधी दस्तावेज

निविदा की शर्त के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया एफ.डी. आर. एवं ई.एम.डी. राशि का विवरण

5 1. एफ.डी.आर. कमांक/दिनॉक सहित

2. एफ.डी.आर. राशि

3. जारीकर्ता बैंक का नाम

6 ई.एम.डी.राशि

अनुभव (यदि कोई है तो) का विवरण

7 संस्थान का नाम जिसमें कार्य किया गया हैः–

8 अवधि

9 अन्य विवरण यदि आवश्यक हो, पृथक से संलग्न करें

मेरे/हमारे द्वारा निविदा की समस्त शर्तो को भलि–भांति पढ समझ लिया गया है, जिनसे पूर्णतः सहमत हूॅ। मेरे द्वारा निविदा की समस्त संलग्न शर्तो का पूर्णतः पालन किया जावेगा। निविदा आवेदन के साथ उपरोक्तानुसार दस्तावेज संलग्न किये जा रहे हैं।

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम.......................
पता..
मोबाईल नंबर ....

–: निविदा की शर्तें :–

जिला न्यायालय अनूपपुर अंतर्गत तहसील न्यायालय कोतमा परिसर में केंटीन के संचालन हेतु निविदाकर्ता से 01 वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित शर्तो के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है, जो शर्तो निम्नानुसार हैः–

1. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदा दिनॉक 26.02.2026 तक कार्यालयीन समय पर स्वीकार की जावेगी। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

2. निविदाकर्ता द्वारा निविदा आवेदन संलग्न प्रारूप अनुसार प्रस्तुत करेगा और निविदा आवेदन के साथ राशि 5000/– रूपये की ई.एम.डी. राशि का बैंक ड्राफ्ट, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के नाम से प्रस्तुत करना होगा।

3. निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ केंटीन संचालन हेतु 50,000/– रूपये (रूपये पचास हजार मात्र) की राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा 01 वर्ष की अवधि के लिए जारी एफ.डी.आर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के नाम से अमानत के रूप में प्रस्तुत की जाएगी, जिस निविदाकर्ता के पक्ष में निविदा स्वीकार की जाएगी, जिस निविदाकर्ता हेतु एफ.डी.आर. की अमानत राशि 01 वर्ष के लिए सुरक्षित जमा रहेगी और उक्त एफ.डी.आर. पर अर्जित ब्याज निविदाकर्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा। शेष निविदाकर्ताओं जिनकी निविदाएं असफल रही है, द्वारा दी गयी एफ.डी. आर. चयन प्रकिया के पश्चात् मूलतः निविदाकर्ता को वापस की जाएंगी।

4. प्रीमियम राशि (मासिक किराया) की न्यूनतम दर रूपये 2787/– निर्धारित है।

5. निविदाकर्ता को तीन माह का किराया अग्रिम जमा करना होगा। अग्रिम प्रीमियम राशि जमा करने में असफल होने पर, उक्त स्थिति में अमानत राशि जप्त कर किराया वसूल किया जाएगा तथा अनुबंध तत्काल निरस्त किया जा सकेंगा।

6. यदि निविदाकर्ता द्वारा शर्तो का उल्लंघन किया जाता हैं या किन्ही अन्य कारणों से अनुबंध, अवधि के पूर्व ही निरस्त की जाती है, तो किसी भी परिस्थिति में निविदाकर्ता द्वारा जाम कराई गई, राशि वापस प्राप्त करने का अधिकारी नही रहेगा और एफ.डी.आर. की राशि जप्त/राजसात की जाकर शासन के हित में जमा की जावेगी।

7. निविदाकर्ता जिसके पक्ष में निविदा स्वीकार की जाती है, केंटीन का संचालन अनुबंध निष्पादन तिथि से 01 वर्ष के लिए करेगा। यदि आगामी वर्ष के लिए निविदाकर्ता पुनः केंटीन का संचालन चाहता है, उस स्थिति में उसके द्वारा 01 माह पूर्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमति दिए जाने पर पूर्व की निर्धारित मासिक किराया राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए, मासिक किराया सामान शर्तो के अधीन पुनः 01 वर्ष के लिए केंटीन संचालन निविदाकर्ता द्वारा किया जा सकेगा। निविदाकर्ता के पक्ष में 01 वर्ष की अनुमति दिए जाने की स्थिति में उसके द्वारा पुनः 50,000/– रूपये की एफ.डी.आर. अमानत स्वरूप दी जावेगी।

2//-

8. प्रधान जिला न्यायाधीश के अनुमोदन से केंटीन के सुचारू रूप से संचालित किए जाने एवं व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि आदि के प्रयोजन से उचित निर्देश आवश्यकतानुसार केंटीन संचालक को दिया जाएगा, जिसका पालन करने हेतु संचालक उत्तरदायी होगा।

9. निविदाकर्ता द्वारा केंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस को प्रातः 09:00 बजे से सायं 6:30 बजे तक की अवधि में किया जाएगा। समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा दिए गए निर्देशो के अनुसार यथा लोक अदालत आदि विशेष अवसरों पर केंटीन का संचालन निर्देशानुसार किया जाएगा।

10. केंटीन संचालन में नियोजित कर्मचारियों को निर्धारित यूनिफार्म में उपस्थित रहना होगा, यूनिफार्म का अनुमोदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से कराया जायेगा।

11. केंटीन संचालन के लिए किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारियों को नियोजित नहीं करेगा तथा नियोजित कर्मचारियों की सूची का सत्यापन रजिस्ट्रार जिला न्यायालय से कराया जाएगा।

12. निविदाकर्ता केंटीन में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय करेगा और खाद्य सामग्री की दरें बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगी तथा खाद्य सामग्री की दरें, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अनुमोदित कराई जाएंगी और उक्त अनुमोदित दर पर ही खाद्य सामग्री का विक्रय किया जाएगा।

13. खाद्य सामग्री की अनुमोदित दरों को केंटीन परिसर के सहज दृश्य भाग पर निविदाकर्ता द्वारा केंटीन संचालन के समय प्रदर्शित किया जाएगा।

14. निविदाकर्ता के द्वारा निविदा स्वीकार किए जाने पर प्रतिष्ठान का पंजीयन नगर पालिका परिषद् अनूपपुर, कोतमा एवं संस्थापना अधिनियम के अंतर्गत कराया जाना आवश्यक होगा और केंटीन का संचालन विहित नियमों का पालन करते हुए, श्रम विधि आदि का उल्लघंन न करते हुए करेगा।

15. निविदाकर्ता के द्वारा संचालन के समय समस्त सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रतिष्ठान का संचालन किया जाएगा और जिसका सम्पूर्ण दायित्व संचालनकर्ता पर होगा।

16. व्यवसायिक प्रतिष्ठन में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे की शासकीय संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

17. प्रधान जिला न्यायाधीश अनूपपुर का एकमात्र विवेकाधिकार आवंटन के संबंध में अंतिम होगा।

18. केंटीन के संचालन से संबंधित किसी भी विवाद या उत्तरदायित्व के लिए (आपराधिक उत्तरदायित्व सहित) प्रथम पक्ष का ही उत्तरदायित्व होगा द्वितीय पक्षी का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

19. व्यवसायिक प्रतिष्ठान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना तथा ऐसा अस्थाई निर्माण नहीं करेंगे। निविदाकर्ता के द्वारा कैंटीन परिसर का स्वयं के व्यय पर आवश्यकतानुसार रंग रोगन, मरम्मत आदि कार्य पूर्ण अनुमति उपरांत कर सकेगा।

20. व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, प्रधान जिला न्यायाधीश को प्रथमतः प्रस्तावित निर्माण की स्थिति से अवगत कराते हुए, अनुमोदन के उपरांत ही किया जा सकेगा।

21. व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु आवंटित स्थान को साफ–सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या ऑडियो सिस्टम उपयोग नहीं करेंगे। कैंटीन तथा आसपास के परिसर को स्वच्छ रखने में निविदाकर्ता के असफल रहने पर कैंटीन संचालनकर्ता शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा।

22. आवंटित व्यवसायिक प्रतिष्ठान को किसी अन्य को आवंटित नहीं कर सकेंगें।

23. कैंटीन संचालक को स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर एवं जल कनेक्शन प्राप्त करना होगा।

24. आवंटित व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालन हेतु आवंटन किसी भी समय बिना कारण बताए, एक माह का नोटिस देकर निरस्त करने पर आवंटी को एक माह की अवधि में व्यवसायिक प्रतिष्ठान हटाना होगा अन्यथा उक्त स्थान को रिक्त करा लेने का प्रधान जिला न्यायाधीश अनूपपुर को अधिकार होगा।

25. प्रतिष्ठान पर पान, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, पान मसाला और इस प्रकार की सामग्री का विक्रय नहीं करेंगे।

26 निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र ''यदि उसने पूर्व में कैंटीन का कार्य किया हो'' अथवा इस तरह का कोई अन्य कार्य किया हो, उक्त अनुभव आदि को समिति के द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुए उसे प्राथमिकता दी जा सकेगी।

27 निविदाकर्ता न्यायालय परिसर में स्थित कैंटीन स्थान का निरीक्षण कर सकेगा।

28. विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त सदस्यों, अनुभवी/बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

29 कैंटीन संचालनकर्ता के द्वारा बंद निविदा के साथ पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस आदि में से एक दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

30. कैंटीन संचालनकर्ता कैंटीन के संचालन के दौरान निकले हुए अपशिष्ट खाद्य सामग्री आदि का निराकरण उचित तरीके से करेगा।

4//-

31. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदाये दिनॉक 12.02.2026 से दिनॉक 26.02.2026 को सायं 05:00 बजे तक स्वीकार की जाएंगी, इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं को विचार में नहीं ली जाएगी।

32. प्राप्त समस्त निविदाए दिनॉक 27.02.2026 को समय 05:00 बजे अधिकृत कमेटी के समक्ष खोली जाएंगी, जिसमें निविदाकर्ता भी उपस्थित रह सकते है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अनूपपुर (म0प्र0)